

व जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)।0 दी.प्र.स.
दिनांक 17/10/2024 को पेश है।

17/10
2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तैरीकार सरकार
उपरिस्थित। पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से कार्यवाही पेड़िग
रखी जाती है। पत्रावली वस्ते आगामी आदेश
मा.रा.मं. अजमेर व जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)।0
दी.प्र.स. दिनांक 27/11/2024 को पेश है।

S.D.O

27/11
2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तैरीकार सरकार उपरिस्थित।
पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
का स्थगन होने से कार्यवाही पेड़िग रखी जाती
है। पत्रावली वस्ते आगामी आदेश मा.रा.मं.
अजमेर व जवाब प्रा.पत्र (0)।(R)।0 दी.प्र.स.
दिनांक 31/12/2024 को पेश है।

S.D.O

03/12
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरिस्थित। तकील
अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से पत्रावली को इसी
स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।
पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय
राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मौके व रिकॉर्ड
की तथास्थिति के आदेश परित किए, आगामी
आदेशों तक प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित

S.D.O

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

राज्य : राजस्थान तहसीलदार : रावतभाटा

बनाम : मोराराम

रसम मुकदमा : इजराय

नं० : 09

सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आगामी आदेश पारित होने तक पत्रावली को इसी स्तर पर पेठिठा रखा जाना उचित उचित होता है। अतः पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आगामी आदेश पारित होने तक पत्रावली को पेठिठा रखा जाकर फैसल कुमार ही ईज रजिस्टर से कम की जाती है। पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	